an>

title: Need to construct Satluj Yamuna Link Canal.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) ः मैं जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.वाई.एल. नहर निर्माण के मुद्दे पर हरियाणा के पक्ष में दिए गए फैसले की ओर दिलाना चाहता हूँ। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 में पंजाब सरकार ने सभी जल समझौते असंवैधानिक तरीके से रद्द कर दिए थे, जिसके विरोध में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 10 नवम्बर, 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की वर्ष 2004 की कार्यवाही को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया है, परंतु अब फिर पंजाब सरकार ने 16-11-2016 को पंजाब विधान सभा का सत्र बुलाकर एस.वाई.एल. निर्माण के लिए अधिकृत की गई भूमि को डिनोटिफाई कर दिया है। संवैधानिक दृष्टि से पंजाब के इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। हमने पंजाब के राज्यपाल महोदय को मिलकर किसी भी असंवैधानिक कार्यवाही को निरस्त करने की गुहार लगाई है। हरियाणा ने राष्ट्रपति महोदय से भी इस मुद्दे पर दखल की मांग की है। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दक्षिणी हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए एस.वाई.एल. नहर निर्माण का संकल्प लिया हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह पानी प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके से इस दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके एस.वाई.एल. नहर का तुरंत निर्माण करवाये ताकि हरियाणा की धरती की प्यास बुझाई जा सके।